

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पास, जयपुर

क्रमांक:-एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2023/ 78343

जयपुर, दिनांक:- 24-2-2023

कार्यालय आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके नाम के आगे अंकित परीक्षाओं में वर्ष 2022-23 में शामिल होने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है:-

क्र. सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	नाम कार्यालय जिससे सम्बन्धित है।	कक्षा
1.	श्री तेजपाल वर्मा	छात्रावास अधीक्षक	अधीक्षक नारी निकतेन, उदयपुर	M.A. Sociology 1 <sup>st</sup> year
2.	सुश्री शिवानी आचोरिया	निजी सहायक- II	निदेशालय, सान्याअवि	M.A. Final
3.	श्री शिवम चौधरी	कनिष्ठ सहायक	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, टोंक	B.A. Additional (English literature)
4.	श्री शिवशंकर सहरिया	सहायक कर्मचारी	सहायक निदेशक, सान्याअवि, बारा	12 <sup>th</sup> Board स्वयंपाठी

शर्तें:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/ कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/ कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/ विभाग किसी प्रकार की जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

Signature valid

Digitally signed by Harsh Mohan Meena  
Designation : Director  
Date: 2023.02.23 13:32:18 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3187280



10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन के अन्दर अंकतालिका निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
12. परीक्षा की अनुमति प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित शर्तों की पूर्ण पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(हरिमोहन मीना )

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1(8)( )सामा./सान्याअवि/2022/78344-75 जयपुर, दिनांक :- 24-2-2023  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर।
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
6. अधीक्षक/सम्प्रेक्षण गृह/किशोर गृह/शिशु गृह, सान्याअवि.....।
7. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री.....।
8. संयुक्त निदेशक, आई.टी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
9. कार्यालय पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Har Mohan Meena  
Designation : Director  
Date: 2023.02.23 13:32:18 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3187280

